न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/07/2024	2024/14	12.03.2024	05.08.2024

1.गोरधन मीना पुत्र श्री कजोडलम मीना जाति मीना निवासी ग्राम डोरोली तहसील रैणी, जिला अलवर (राज०)।

—— अपीलान्ट

बनाम

1.सरकार जरिये तहसीलदार रैणी जिला अलवर (राज०)।

——रेस्पोडेन्ट

राजस्व प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 10–01–2023 प्रकरण संख्या 38/2022 जिसके द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीक पर अपीलाण्ट को हाल आराजी खसरा नम्बर 1018 रकबा 1.44 हैक्टेयर में से रकबा 0.01 हैक्टेयर स्थित ग्राम डोरोली तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान पर अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने एंव अर्थदण्ड 20/– रूपयें से दण्डित किया गया। बमुराद मंसूखी उपरोक्त निर्णय तहत अदालत तथा स्वीकार किए जाने अपील अपीलाण्ट व दीगर दादरसी ।

उपस्थितः–

01.श्री ओमानंद चौधरी —वकील अपीलाण्ट

02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 10–01–2023 प्रकरण संख्या 38/2022 जिसके द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीके पर अपीलाण्ट को हाल आराजी खसरा नम्बर 1018 रकबा 1.44 हैक्टेयर में से रकबा 0.01 हैक्टेयर स्थित ग्राम डोरोली तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान पर अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने एंव अर्थदण्ड 20/– रूपयें से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि आलोंच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 10–01–2023 प्रकरण संख्या 38/2022 के खिलाफ यह प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य हैं। यह कि अपील हाजा पर नियमानुसार न्याय शुल्क 2/–रूपया व तलबाना सशुल्क चस्पा कर पेश की जा रही हैं। यह कि आलोंच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 10–01–2023 प्रकरण संख्या 38/2022 की सत्य प्रतिलिपी अपील के साथ संलग्न कर पेश की जा रही हैं। यह कि आलोंच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 10–01–2023 प्रकरण संख्या 38/2022 तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट की गैरमौजूदगी व गैरजानकारी में पारित करने के कारण मिन अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी उक्त आलोच्य निर्णय की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

किसी तरह की नही थी। मिन अपीलान्ट को आलोच्य निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01–03–2024 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर बेदखल करने का प्रयास कर मौखिक रूप से उक्त आलोच्य निर्णय की जानकारी देने पर हुई। जिस पर मिन अपीलान्ट ने दिनांक 04–03–2024 को तहत अदालत में जानकारी कर नकल के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 06–03–2024 को तैयार होकर दिनांक 06–03–2024 को सांयकाल प्राप्त हुई। दिनांक 07–03–2024 को अलवर राजस्थान आकर नकल व कागजात वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद दिनांक 08–03–2024 से अपील करने के लिए आवश्यक खर्च का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 01–03–2024 से अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही हैं। आलोच्य निर्णय तहत अदालत दिनांक 10–01–2023 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 01–03–2024 तक का समय मिन अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण मियाद में मुंजरा दिये जाने योग्य हैं। जहां निर्णय आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हों, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित किया गया हों, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता हैं। ऐसे निर्णय को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता हैं, मियाद की कोई पाबन्दी नही हैं। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्ट न्यायहित में सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 01–03–2024 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक हैं। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

पटवारी हल्का डोरोली तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान ने तहत अदालत तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि गोरधन मीना पुत्र कजोडमल मीना जाति मीना निवासी डोरोली तहसील रैणी जिला अलवर ने संवत 2079 में ग्राम डोरोली की राजकीय हाल आराजी खसरा नंबर 1018 किस्म सिवायचक गैरमुमकिन रास्ता रकबा 1.44 हैक्टेयर में से रकबा 0.01 हैक्टेयर पर अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त कर अतिक्रमण कर लिया हैं। जिस पर तहत अदालत तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान में प्रकरण संख्या 38/2022 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया गया। और अपीलान्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अपीलान्ट ने तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश कर सबूत पेश करने का अवसर चाहा गया। तथा तहत अदालत द्वारा उक्त प्रकरण का आलोच्य निर्णय दिनांक 10–01–2023 से निस्तारण किया जाकर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किए जाने, एंव अर्थदण्ड 20/– रूपयें से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश विधि विरूद्ध व बेजा तरीक पर पारित किए गए हैं। कि जिस निर्णय से असन्तुष्ट होने के कारण यह प्रथम अपील अदालत श्रीमान में पेश की जा रही हैं, जो कि निम्न आधार पर स्वीकार होने योग्य हैं, तथा आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्त किए जाने योग्य हैं। तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय मौके, कब्जे एवम राजस्व रिकार्ड के खिलाफ विधि विरुद्ध पारित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय तहत अदालत निरस्त होने योग्य है। निरस्त फरमाया जायें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। ग्राम डोरोली तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान की सिवायचक गैरमुमकिन रास्ता भूमि हाल आराजी खसरा 1018 रकबा 1.44 हैक्टेयर में से रकबा 0.01 हैक्टेयर पर मिन अपीलाण्ट का कोई नाजायज कब्जा अतिक्रमण नही हैं। मिन अपीलाण्ट ने कोई अतिक्रमण कर कब्जा काश्त नहीं किया है। मिन अपीलान्ट ने अपनी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर हाल 822 रकबा 0.50 हैक्टेयर की परिसीमा में अपने रिहायशी मकान व चारदीवारी का निर्माण करीब 40 वर्ष से अपने जायज अधिकारों के अनुसार किया हुआ है। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना कोई पैमायश कियें, अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट तहत अदालत में पेश की है। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जांच किए अपीलाण्ट के खिलाफ नोटिस जारी कर आदेश पारित किया है। जो गलत एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

तहत अदालत ने आलोच्य निर्णय में अपीलान्ट का कब्जा अतिक्रमण स्वीकार करना लिखा हैं, जो गलत प्रकार से लिखा गया है। जबकि मिन अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत में पेशकर्दा जवाब नोटिस दिनांक 10–01–2023 में कोई अतिक्रमण करना स्वीकार नहीं किया है, बल्कि मिन अपीलान्ट ने अपने जवाब नोटिस में स्पष्ट रूप से दर्ज किया हैं, कि "हमने किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है, बल्कि यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता हैं, तो हम अतिक्रमण हटाने को तैयारहैं।" किन्तु रैस्पाडैन्ट ने मिन अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये, बिना आलोच्य निर्णय जवाब नोटिस पेश करने के दिन ही पारित कर दिया। जो निर्णय तहत अदालत साईक्लोस्टाईल के छपे छपाये फार्म पर पारित किया गया है। मिन अपीलान्ट को तहत अदालत ने कोई सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया। तथा आलोच्य निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित किया है। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मिन अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी व विवादित गैरमुमकिन रास्ता की भूमि की कोई पैमायश नहीं की गई हैं। जबकि स्वयं रैस्पाडैन्ट ने दिनांक 08–02–2023 को मौके पर पैमायश हेतु टीम गठित की गई। किन्तु उक्त गठित टीम द्वारा भी आज दिन तक मौके पर पैमायश नहीं की गई हैं। और बिना मौके की जांच किये, पटवारी हल्का द्वारा मिन अपीलान्ट के खिलाफ धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिर्पोट तहत अदालत में पेश की गई है। तथा तहत अदालत स्वयं ने मौका निरीक्षण किए बिना मिन अपीलान्ट को बेदखल करने का आलोच्य निर्णय पारित किया है। जो निरस्तनीय हैं। काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। मौके की पैमायश कराये व बिना पटवारी हल्का के बयान लिये, यह कैसे माना जा सकता है, कि मिन अपीलान्ट ने मौके पर कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण किया हुआ हैं। विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 1018 गैरमुमकिन रास्ता की भूमि पर बाबूलाल व कल्याणसहाय ने मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया। जिसकी शिकायत सन 2017 से मिन अपीलान्ट व अन्य ग्रामवासी नियमित रूप से करते चले आ रहे थे। जब सन 2022 में शिकायत की गई, तो मौका निरीक्षण किया गया, और मौके पर बाबूलाल व कल्याण सहाय का अतिक्रमण होना पाया गया, तथा तुरन्त प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। किन्तु आज तक प्रशासन ने कोई कार्यवाही उक्त लोगो का अतिक्रमण हटाने के बारे में नहीं की गई हैं। पटवारी हल्का व तहसीलदार ने मिलकर मिन अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही की गई हैं। जबकि मिन अपीलान्ट ने मौके पर कोई अतिक्रमण नही किया हैं, यदि मिन अपीलान्ट का मौके पर अतिक्रमण होता, तो उसी दिन कार्यवाही की जाती। जब मिन अपीलान्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर, राजस्थान में जनप्रतिनिधित्व वाद पेश किया गया, तो उसकी जानकारी होने पर पीएलआई में व्यवधान पैदा करने हेतु तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट के विरूद्ध आनन फानन में बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दियें, की गई हैं। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

सिविल रिट पिटिशन संख्या 3095/2023 बअनुवान बाबूलाल (बनाम) राजस्थान राज्य माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर राजस्थान में विचाराधीन हैं। तथा मिन अपीलान्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर राजस्थान में जनप्रतिनिधित्व वाद पेश किया हुआ हैं। ऐसी स्थिति में तहत अदालत को कानूनन माननीय उच्च न्यायालय से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उक्त प्रकरणों का निस्तारण होने तक कार्यवाही स्थिगित रखनी चाहिए थी। परन्तु तहत अदालत ने गौर नही किया। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। मिन अपीलान्ट का कब्जा विधिपूर्ण हैं, जिसे कानूनन अतिक्रमी नहीं माना जा सकता हैं। अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत में जवाब नोटिस पेश किया गया हैं। परन्तु तहत अदालत ने जवाब नोटिस का गहनता से अवलोकन नहीं किया गया है। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। उक्त विवादित आराजी जो मिन अपीलान्ट की खातेदारी की है, में मिन अपीलान्ट के रिहायशी मकान व चारदीवारी बनी हुई हैं, मिन अपीलान्ट ने मौके पर गैरमुमकिन रास्ता की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना कोई पैमायश किये, अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट तहत अदालत में पेश की है। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जांच किए अपीलाण्ट के खिलाफ नोटिस जारी कर आलोच्य निर्णय पारित किया है। जो गलत एवं खिलाफ कानून, मौके रिकार्ड होने के कारण निरस्तनीय हैं। निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

उक्त विवादित भूमि पर मिन अपीलाण्ट ने कोई नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा नहीं किया हैं। पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किये, व बिना पैमायश किये, तहत अदालत में अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तहत अदालत ने बिना मौका निरीक्षण किये, पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर बिना पटवारी हल्का के बयान लिये, अपीलाधीन निर्णय पारित किया हैं। जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। निरस्त फरमाया जावे। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। तहत अदालत ने आलोच्य निर्णय खिलाफ तथ्य, कानून, मौका, रिकार्ड प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित निष्कर्ष निकालते हुए, पारित किया गया है। जिससे निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलोंच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 10–01–2023 प्रकरण संख्या 38/2022 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निरस्त फरमाया जावें। तथा अपीलान्ट को नोटिस अर्न्तगत घारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के भार से मुक्त फरमाया जावें। व अन्य उचित आज्ञा जो न्यायसंगत हों, बहक अपीलान्ट विरुद्ध रैस्पाडैन्ट सादिर फरमाई जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। राजस्व रिकॉर्ड का मिलान किया गया। राजस्व रिकॉर्डानुसार भूमि राजकीय भूमि दर्ज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.01.2023 प्रकरण संख्या 38/2022 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)